राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 159/2020

बजरंग पुत्र रामनिवास जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
.....प्रार्थी

– बनाम –

1. कौशल्या पुत्री मुंगा
2. पूनम पुत्री ग्यारसीलाल
3. मन्जू पुत्री मुगा
4. हरसहाय पुत्र मालाराम

जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

5. रहीश कुमार पुत्र सुरजाराम जाति अहीर निवासी ढाणी पिठौला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

6. विमला पुत्री मुंगा
7. सुशीला पुत्री मुगा
8. हरिराम पुत्र दुलीचन्द
9. श्यामसुन्दर पुत्र दुलीचन्द
10. बजरंग लाल पुत्र दुलीचन्द
11. नानड़ी पुत्री दुलीचन्द
12. बसन्ती पुत्री दुलीचन्द
13. मन्जु पुत्री दुलीचन्द

समस्त जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

14. लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार उप–तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनू(राज.)
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

..... अनावेदकगण

आवेदन पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – आवेदक की ओर से ।
2. श्री अशोक यादव द्वितिय अप्रार्थी स. 1 लगायत 3 व 5 लगायत 7 की ओर से।
3. श्री रोहित पोषवाल अधिवक्ता अप्रार्थी स. 8 लगायत 13 की ओर से।
4. अप्रार्थी स.4, के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

–:: निर्णय ::– दिनांक – 25/3/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:47 IST
Reason: Self Attested

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र धारा 251(क) राज. कास्त.अधि.संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया है कि

1. यह कि वाके ग्राम सिंघाना उप तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न. 159 रकबा 1.00 की खातेदारी की कृषि भूमि है जो भाई

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

बंटवारे में आवेदक के कब्जा कास्त में है जिसमें आवेदक फसल कास्त करता है लाटता काटता है।

2. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 159 रकबा 1.80 है. के उत्तर में ख.न. 160 रकबा 0.38 है. स्थित है जो अनावेदक सं. 1 लगायत 7 के नाम से खातेदारी में दर्ज है तथा ख.न. 160 के उत्तर में ख.न. 144 रकबा 1.10 है. स्थित है जो अनावेदकगण सं. 8 लगायत 13 के हकपूर्वाधिकारी दुलीचन्द के नाम खातेदारी मे दर्ज है दुलीचन्द की मृत्यु हो चूकी है लेकिन अभी तक उसके वारीसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ है तथा ख.न. 144 के उत्तर में डामर युक्त पुख्ता सड़क सती मन्दिर सिंघाना से पुरानी भोदन व मुरादपुर को जाती है।

3. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 159 में आने जाने के लिये राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नही है बल्कि सिंघाना से पुरानी भोदन मुरादपुर जाने वाली सड़क से दक्षिण में ख.न. 144 एवं ख.न. 160 मे से ही आया जाया जा सकता है ख.न. 144 में से 2 मीटर चौड़ाई में अस्थाई कटानी रास्ता है जो मौके पर प्रचलित है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसके कोई ख.न. एवं रकबा अलग से दर्ज नही है ना ही उसकी किस्म अलग से रास्ता के रूप में दर्ज है तथा यह रास्ता ख.न. 160 में अस्थाई (डोटेड लाईन) भी नही दर्शाया गया है बल्कि ख.न. 145 में से अस्थाई दर्शाया गया है जो केवल 2 मीटर चौड़ाई में है एवं ख.न. 146 में श्मशान है वहां तक दर्शाया गया है लेकिन ख.न. 159 के लिये उक्त रास्ता दर्ज नही है तथा ख.न. 146 शमशान भूमि है इसलिये शमशान में से किसी की खातेदारी के लिये रास्ता भी नही हो सकता है। तथा ख.न. 163 के खातेदारों ने ख.न. 144 की पूर्वी सीमा के सहारे सटाकर मकान बना रखे है।

4. यह कि सिंघाना से भोदन को जाने वाली पुख्ता सड़क से दक्षिण में ख.न. 144 में प्रचलित रास्ता की चौड़ाई केवल 2 मीटर है जिसमें से ट्रक्टर,ऊंटगाडा आदि कृषि उपज भर कर या चारा भूसा भर कर नही जा सकता है इसलिये उक्त रास्ता की चौड़ाई 9 मीटर किया जाना व उसको राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है क्योकि वह खातेदारी में दर्ज है इलिये नक्शा व जमाबन्दी (रिकार्ड ऑफ राइटस) में उक्त रास्ता को 9 मीटर चौड़ा कायम किया जाने योग्य है उक्त रास्ता शमशान भूमि के उपयोग के लिये भी उपयोगी है एवं आवेदक की भूमि ख.न. 159 में आने जाने फसल कास्त करने काटने लाटने व चारा एवं कृषि उपज लाने हेतू आवेदक के पास अन्य कोई रास्ता नही है अर्थात कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है एवं यही एक मात्र प्रचलित रास्ता है।

5. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 159 के लिये वर्तमान में भी रास्ता ख.न. 144 एवं 160 में से ही है लेकिन वह राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है एवं उसकी चौड़ाई भी अत्यधिक कम है आवेदक की भूमि ख.न. 159 के लिये ख.न. 144 मे से 117 मीटर लम्बाई व 9 मीटर चौड़ाई कुल 1053 वर्गमीटर अर्थात 0.1053 है. रकबा रास्ता के काम आता है तथा ख.न. 160 में से 60 मीटर लम्बाई एवं 9 मीटर चौड़ाई में कुल 540 वर्गमीटर अर्थात 0.0540 है. रकबा काम आता है जो उक्त भूमि में से कम कर उसे गै.मु. रास्ता एवं राजकीय दर्ज किये जाने योग्य है उक्त कुल 0.1593 है. रकबा की नियमानुसार डी.एल.सी. दर से दोगुनी राशी आवेदक भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है अर्थात धारा 251 क रा.का. अधि. के प्रावधानों की पालना करने को तैयार एवं तत्पर है।

6. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 159 के लिये राजस्व रिकार्ड में रास्ता नही होने एवं अस्थाई डोटेड लाईन में दिखाये गये रास्ते की चौड़ाई अत्यधिक कम होने से आवेदक के लिये अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करना ही मुश्किल व असंभव हो गया है जिससे आवेदक को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:47 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

7. यह कि आवेदन पत्र के लिये आधार विवाद वाद वर्णित आवेदक की कृषि भूमि ख.न. 159 के लिये कोई कटानी रास्ता नही होने से पैदा हुआ है इसलिये यह आवेदन पत्र अन्दर मियाद है वैसे भी इस प्रकार के आवेदन पत्र के लिये कानून में कोई मियाद निर्धारित नही है।

8. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 159 एवं चाहे गये रास्ता की भूमि ख.न. 144 एवं 160 ग्राम सिंघाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि –

(क) कि वाके ग्राम सिंघाना स्थित आवेदक की भूमि ख.न. 159 के लिए ग्राम सिंघाना से पुरानी भोदन मुरादपुर को जाने वाली आम सड़क से दक्षिण में ख.न. 144 एवं ख.न. 160 में से ख.न. 159 तक 9 मीटर चौड़ाई मे रास्ता कायम कर उसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर सीमाकन एवं मापन कर मौके पर भी कायम किये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करे। आवेदक रास्ता के रूप में दर्ज होने वाले रकबा की नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दौगुनी राशी भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है

(ख) कि आवेदक का आवेदन पत्र विरूद्ध अनावेदकगण स्वीकार कर अन्य कोई अनुतोष जिसका आवेदक वाजिब हकदार हो आवेदक को दिलवाये जाने की कृपा करे।

आवेदन दर्ज रजिस्ट्रर कर अनावेदकगण की तलबी जारी की गई अप्रार्थी स.1 लगायत 3 व 5 लगायत 7 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट उपस्थित एवं इकबाली जवाब पेश किया अप्रार्थी स. 4 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । अप्रार्थी स., 8 लगायत 13 की ओर से श्री रोहित पोषवाल अधिवक्ता ने जवाब पेश किया कि आवेदक झूठ कहता हैं कि प्रश्नगत भूमि ख.न 159 रकबा 1.80 हैक्टर भूमि भाई बंटवारे में आवेदक के कब्जा कास्त मे हैं तथा उसमे वह फसल कास्त करता हैं। उक्त भूमि आवेदक के सह – खातेदार कास्तकारान , कमशः उषा पत्नी स्व. रामनिवास , महेन्द्र , रविशंकर पुत्रगण स्व. रामनिवास तथा सरोज पुत्री स्व. रामनिवास जाति माली निवासीगण ढाणी नयोड़ा कुआ तन् सिघाना की संयुक्त खातेदारी की हैं। यह भूमि अविभाजित हैं । परन्तु यह भूमि बंटवारे में उषा पत्नी स्व. रामनिवास , महेन्द्र , रविशंकर पुत्रान रामनिवास तथा सरोज पुत्री स्व. रामनिवास जाति माली निवासीगण ढाणी नयोड़ा कुआ तन् सिघाना के हिस्से मे आई हुई हैं। तथा वही इस भूमि पर काबिज कास्त हैं। इस प्रकार आवेदक ने इसी भूमि को अर्सा करीब 30 सालो से कभी भी कास्त नही किया हैं। इसलिए आवेदक को यह आवेदन पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करने का दावाधिकार प्राप्त नही हैं। आवेदक अर्सा करीब गत 30 सालो से ढाणी नयोड़ा कुआ में निवास नही कर रहा हैं। आवेदक काफी समय से प्लाट नम्बर बी– 128 सी निवेबा भावे नर्सरी सर्किल वैशाली नगर जयपुर राज. में व रविशंकर पुत्र स्व. रामनिवास व उसकी मां उषा जयपुर स्थित गोविन्दपुरा कालवाड़ रोड़ जयपुर राज. में पुख्ता मकानात बनाकर आबाद हैं। तथा महेन्द्र पुत्र रामनिवास राजस्थान खनिज विभाग बीकानेर में कार्यरत है।, तथा वही पर वह मकानात बनाकर आबाद हैं। यह काबिले गौर हैं कि प्रश्नगत भूमि को अर्सा करीब गत 30 सालो से आवेदक ने कास्त नही की हैं। यह भूमि बंजड़ पड़ी हुई हैं। इस प्रकार यह भूमि [illegible] सालो से कास्त ही नही की जा रही हैं तो इसे काटने – लाटने का प्रश्न ही पैदा नही होता है इसलिए इस भूमि मे आने –जाने के लिए 9 मीटर चौड़े रास्ते की आवेदक को आवश्यकता क्यो हैं। इस तथ्य का आवेदक ने आवेदन पत्र में खुलासा नही किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:47 IST
Reason: Self Attested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
जिला झुन्झुनूं (राज.)

यह कि प्रश्नगत भूमि हाल ख.न. 160 रकबा 0.38 हैक्टर भूमि का कदीमी कास्तकार खातेदार हरसहाय पुत्र स्व. पालाराम जाति माली निवासी नयोड़ा कुआ तन् सिघाना रहा हैं तथा कदीम से आज तक वही इस भूमि पर लगातार आज तक काबिज कास्त चला आ रहा हैं लेकिन सहवन या भूलवश राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो ने इस भूमि की खातेदारी अनावेदकगण स. 1 से 7 के हकपूर्वाधिकारीगण के नाम दर्ज कर दी हैं जबकि उनके वारीसान अनावेदकगण स. 1 से 7 का इस भूमि ख.न. 160 से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नही हैं। ना ही अनावेदकगण स.1 से 7 या इनसे पूर्व उनके हकपूर्वाधिकारीगण कभी भी इस भूमि पर काबिज कास्त रहे है।। इस भूमि की खातेदारी गलत प्रकार से पूर्व में अनावेदकगण स.1 से 7 के हकपूर्वाधिकारी स्व. मुगा व उसके भाईयो के नाम दर्ज हो गई तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारीसान अनावेदकगण स.1 से 7 व अन्य के नाम दर्ज होने के कारण उक्त हरसहाय को भारी हकतलफी हाने से उसने अदालज हाजा के समक्ष एक नियमित बउनवानी हरसाय बनाम हेतराम आदि वाद :– घोषणात्मक , स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्त अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा हैं जो कि श्रीमानजी के समक्ष विचाराधीन हैं जो आज की पेशी मे नियत हैं।

इसलिए इस प्रकरण मे उक्त हरसहाय को पक्षकार बनाये बिना ही यदि प्रश्नगत भूमि हाल ख.न. 160 रकबा 0.38 हैक्टर मे से अवैध रूप से बहक आवेदक रास्ता कायम कर प्रश्नगत भूमि ख.न. 160 मे से आवेदक को रास्ते के द्वारा चाहे गये रकबा को रास्ता के रूप मे दर्ज कर उसका प्रतिकर अनावेदकगण स.1 लगायत 7 को दे दिया जाता हैं । तो उक्त हरसहाय को बहुत भारी हकतलफी होगी क्योकि वह इस भूमि ख.न. 160 पर कदीम से बहैसियत खातेदार काबिज कास्त है। इसलिए पक्षकारान व उक्त हरसहाय के मध्य कई प्रकार की मुकदमेबाजी व पेचिदगीयां उत्पन्न होगी तथा उक्त हरसहाय के द्वारा श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया उक्त बउनवानी दावा हरसहाय बनाम हेतराम आदि भी महत्वहीन हो जायेगा। इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में उक्त हरसहाय को पक्षकार बनाये बिना यह आवेदन पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव में पोषणीय नही होने से खारीज किये जाने योग्य हैं। इस प्रकार यहां उल्लेख करना अति आवश्यक हैं कि श्रीमानजी यदि आवेदक के पक्ष मे रास्ता बाबत आदेश व अज्ञापति पारित कर भी देते हैं तो भी इस भूमि पर कब्जा उक्त हरसहाय का होने से वह इस भूमि ख.न. 160 मे से रास्ता नही डालने देगा। इसलिए इससे यह स्पष्ट हैं कि न्यायालय ऐसी डिकी जारी करेगा जिसका कभी पालना नही करवाई जा सकती हैं। जबकि विधि के प्रावधानो के अनुसार न्यायालय ऐसी अज्ञापति जारी नही कर सकता हैं। जिसकी कभी पालना नही करवाई जा सके। आवेदक ने आवेदन पत्र के खण्ड में शेषांश अनावश्यक दर्ज किये हैं जो कि अस्वीकार हैं।

यह कि आवेदक के कथनानुसार प्रश्नगत भूमि ख.न. 144 व 160 मे से कभी भी कोई अस्थाई या प्रचलित रास्ता मौजूद नही रहा हैं। तथा वर्तमान में आवेदक या उसके सह – खातेदारान या उनसे पूर्व उनके हकपूर्वाधिकारीयो का इस वादग्रस्त भूमि में से रास्ता रहा है। इस वादग्रस्त भूमि में यदि कभी कोई आकस्मिक पास (Casual Pass) रहा भी हैं तो उसके पश्चात इस भूमि को उत्तरदाता ने अपनी भूमि को कास्त कर लिया हैं इसलिए कास्त करने के बाद उक्त आस्मिक पास स्वतः ही खत्म हो गया हैं तथा वर्तमान में भी अनावेदकगण स. 8 लगायत 13 ने अपनी खातेदारी की भूमि ख.न. 144 मे चरी की फसल कास्त कर रखी हैं। इस प्रकार भूमि ख.न. 144 में उतरदातागण ने खरीफ की फसल कास्त कर रखी हैं इस प्रकार यदि किसी समय आकस्मिक पास की सहवन या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

भूल से राजस्व कर्मचारीयो – अधिकारीयो ने कोई डाट – डाट लाईन से आकस्मिक पास दर्शा भी दिया हैं, परन्तु ततपश्चात खातेदारान के द्वारा अपनी भूमि को कास्त कर उक्त आकस्मिक पास का अस्तिव खत्म कर उसे निर्वापित कर दिया जाता हैं, तो उक्त पास से लाभान्वित होने वालो व्यक्ति या समुह के अधिकार कास्त करते ही खत्म हो जाते हैं। इस कारण आवेदक उक्त तथाकथित आकस्मिक पास के आधार पर स्थाई रास्ता की डिमाण्ड नही कर सकता हैं। उक्तानुसार इस प्रकार के आकस्मिक पास की भूमि पर खातेदार द्वारा कास्त करने पर उसकी विधि की नजर मे कोई अहमियत नही रह जाती हैं। शेषांश आवेदक ने आवेदन पत्र के खण्ड में बनावटी व फर्जी केवल मात्र आवेदन पत्र का फर्जी आधार तैयार करने कि नियत से दर्ज किये हैं जो कि स्वीकार नही हैं।

यह कि जैसा कि जवाब आवेदन पत्र की खण्ड न. 3 में वर्णित किया जा चुका हैं कि उत्तरदातागण की इस खातेदारी की भूमि ख.न. 144 मे से कभी भी आवेदक के कथनानुसार कोई प्रचलित रास्ता मौजूद नही रहा है। ना ही आवेदक , उसके सह खातेदारान या उनके किसी हकपूर्वाधिकारी ने अनावेदकगण स. 8 से 13 की इस वादग्रस्त भूमि मे से उक्त तथाकथित रास्ते की भूमि ख.न. 159 में आवागमन के लिए उपयोग – उपभोग किया हैं। प्रश्नगत भूमि ख.न. 141 जो कि अनावेदकगण की भूमि ख.न. 141 , 143, 146, 147 भूमि से पश्चिमी ओर सटकर स्थित हैं, मे उक्त भूमि के खातेदारान ने प्लाटींग कर रखी हैं उसमें ग्रेवल रास्ता मौजूद हैं जिससे भूमि ख.न. 159 में आज तक आवागमन होता आ रहा हैं , तथा वही रास्ता भूमि ख.न. 159 में आवागमन के लिए सुगम व सुलभ हैं। इस प्रकार आवेदक के पास वैकल्पिक व्यवस्था होने से आवेदन पत्र पोषणीय नही हैं।

उक्तानुसार आवेदक या किसी अन्य ने वादग्रस्त भूमि ख.न. 159 को गत 30 साल से कास्त ही नही किया हैं वह बंजड़ पड़ी हैं तो आवेदक को क्यो भूसा , चारा या कृर्षि उपज को लाने के लिए उंटगाड़ी या ट्रेक्टर आदि को ले जाने कि आवश्यक्ता हैं। वाद ग्रस्त भूमि के आस – पास आबादी के लिए लगभग भूमियो में प्लाटिंग हो गई हैं। तथा कुछ केताओ ने अपने उक्त खरीदशुद्धा भूखण्डो के गैरकानूनी ढंग से नगरपालिका खेतड़ी से पट्टे भी बनवा लिये हैं। इस कारण आवेदक के भी मन मे अपने हिस्से की भूमि की प्लाटि।ग करने के लिए किन्ही भू–माफियाओ से बेचान करने के लिए बात की होगी तो उन्होने आवेदक को कॉलोनी काटने के लिए 9 मीटर चोड़ा रास्ता के लिए आवेदन पेश करवाया है।, जबकि आवेदक को अपने लिए रास्ते की कोई आवश्यक्ता ही नही हैं। इसलिए आवेदक भू–माफियाओ के बहकावे में आकर उतरदातागण की भूमि को अपने प्लाटिंग के फायेद के लिए खुद –बुर्द कर उनके हिस्से की भूमि में धारा 251(क) राज. कास्त.अधि. का नाजायज लाभ लेकर आधारहीन 9 मीटर चौड़ा रास्ता कटवाकर अपने हिस्से की भूमि मे कालोनी काटने की नियत से यह बनावटी व साजसी आवेदन श्रीमानजी के समक्ष पेश किया हैं।

जहां तक शमसान भूमियो [illegible] के बासिंदो के द्वारा रास्ते के लिए सिविल न्यायालय में दावा दायरी [illegible] की जा सकती हैं। लेकिन धारा 251(क) राज. का.अधि. के अन्तर्गत शमसान भूमि [illegible] रास्ता की मांग नही की जा सकती हैं। आवेदक ने बड़ी चालाकी से शमसा[illegible] के लिए भी अनावेदकगण स. 8 लगायत 13 व उक्त [illegible] आवेदन पेश कर दिया हैं। जैसा कि जवाब आवेद[illegible] वर्णित किया जा चुका है। कि आवेदक के पास वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था हैं इसलिए आवेदन पत्र आवेदक विधिस विरूद तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के विपरित होने से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दि. खारीज किये जाने योग्य हैं।

यह कि उक्तानुसार जैसा कि जवाब आवेदन पत्र के उपरोक्त खण्डो मे विस्तृत विवरण दिया जा चुका हैं कि वादग्रस्त भूमि में कभी भी कोई प्रचलित रास्ता नही रहा हैं आवेदक झूठ कहता हैं कि कोई दो मीटर चौड़ा रास्ता वादग्रस्त भूमियो मे से रहा हैं आवेदक अपनी बजंड़ भूमि मे कालोनी काटने के लिए चालाकी पूर्वक आशय से अनावेदकगण स. 8 से 13 की खातेदारी मे से धारा 251(क) राज.टे.एक्ट के प्रावधानो का गैरकानूनी ढंग से बेजा दुरूपयोग कर विधि के प्रावधानो के विपरित भू–माफियाओ व राजस्व कर्मचारीयो – अधिकारीयो से मिलीभगत कर यह आवेदन अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के आस – पास प्लाटींग हो रही हैं। जिसके कारण जमीनो के बाजार भाव डी.एल.सी. दर से कई गुणा अधिक हैं। इसलिए आवेदक का आवेदन पत्र विधि के प्रावधानो के विपरित होने से पोषणीय नही होने से खारीज किये जाने योग्य हैं।

यह कि उक्तानुसार जैसा कि जवाब आवेदन पत्र के उपरोक्त खण्डो मे विस्तृत विवरण दिया जा चुका हैं कि वादग्रस्त भूमि मे से कभी भी कोई प्रचलित रास्ता नही रहा हैं। आवेदक झूठ कहता हैं कि कोई दो मीटर चौडा रास्ता वादग्रस्त भूमियो मे से रहा हैं। आकस्मिक पास की सहवन या भूल से राजस्व अधिकारी ने कोई डाट – डाट लाई से यदि कोई आकस्मिक पास दर्शा भी दिया हैं परन्तु तत्पश्चात खातेदारान के द्वारा अपनी भूमि को कास्त कर उक्त आकस्मिक पास का अस्तित्तव खत्म कर उसे निर्वापित कर दिया हैं। इस कारण आवेदक उक्त तथाकथित आकस्मिक पास के आधार पर स्थाई रास्ता की डिमाण्ड नही कर सकता हैं। उक्तानुसार इस प्रकार के आकस्मिक पास की भूमि पर खातेदार द्वारा कास्त करने पर उसकी विधि की नजर मे कोई अहमियत नही रह जाति हैं। इस प्रकार आवेदक के द्वारा अपनी बंजड़ भूमि की प्लाटिंग करने के लिए कानून का नाजायज लाभ लेना चाहता हैं तथा उसका क्लेम नाजायज व गैर – कानूनी होने से उसका आवेदन पत्र खारीज किया जाता हैं तो उसे किसी प्रकार की कोई अपूर्तनीय क्षति नही होगी लकिन यदि आवेदक के द्वारा किये गये गैर कानूनी आवेदन पत्र केवल अपनी बंजड़ भूमि में प्लाटिंग करने की नियत से पेश किये गये आवेदन पत्र को आधार बनाकर यदि से उतरदातागण की खातेदारी मे से रास्ता दिया जाता हैं तो अनावेदकगण स. 8 लगायत 13 को ऐसी क्षति होगी जिसका कभी मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया सकेगा।

यह कि वादग्रस्त भूमि ख.न. 160 रकबा 0.38 हैक्टर की खातेदारी को लेकर हरसहाय पुत्र स्व. पालाराम जाति माली निवासी ढाणी नयोड़ा कुआ तन् सिघाना उप तहसील सिघाना एवं हेतराम वर्गे. के मध्य न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष वाद विचाराधीन होने से मामला उप निर्णयाधीन (Sub-Judice) होने से प्रस्तुत प्रकरण पोषणीय नही होने से खारीज किये जाने योग्य हैं।

यह कि आवेदक ने आवेदन पत्र में भूमि ख.न. 159 से सभी सह– खातेदारान को आवश्यक पक्षकार नही बनाये गये हैं तथा भूमि ख.न. 160 पर सदैव से ही हरसहाय पुत्र स्व. पालाराम कब्जे कास्त में रहा हैं। तथा आज भी इस जमीन पर वही काबिज कास्त हैं। इसी पूरी – पूरी जानकारी आवेदक को [illegible] उसने उसे भी इस आवेदन पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नही बनाया गया है। इसलिए यह आवेदन पत्र आवश्यक पक्षकारान के अभाव में पोषणीय नही होने से खारीज किये जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:47 IST
Reason: Self-Attested

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली पर ... तहसीलदार बुहाना की रिर्पोट का अवलोकन किया गया आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पाये जाने पर

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
सत्यमेव जयते
जिला झुन्झुनू (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक की भूमि खसरा न. 159 के लिए अविभाजित खसरा न. 144 व 160 जिसके वर्तमान खसरा न. 828/144 व 160 हैं। उसमें से खसरा न. 159 जिसके वर्तमान खसरा न. 819/159 व 821/159 उसके लिए रास्ता कायम किये जाने योग्य है।

– :: आदेश ::–

अतः आवेदक का आवेदन पत्र विरूद अनावेदकगण स्वीकार किया जाकर अविभाजित खसरा न. 144 जिसके वर्तमान खसरा न. 828/144 उसमें से 117 x 7 = 819 वर्गमीटर तथा खसरा न. 160 में से 60 x 7 = 420 वर्गमीटर तथा अविभाजित खसरा 159 जिसके वर्तमान खसरा न. 819/159 उसमें से 70 x 7 = 490 वर्गमीटर रकबा को गै.मू. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता हैं कि वर्तमान डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि कुल 299985/– रूपये बनती है। जिसको आवेदक के जमा करवाये जाने पर उक्त रास्ते का सीमांकन एवं मापन कर मौके पर रास्ता कायम करे । प्राप्तशुद्धा राशि को सम्बधित खातेदार को भुगतान करे, एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै.मू. रास्ता दर्ज करे। रास्ता में आने वाला रकबा रहन मुक्त रहेगा। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –अ निर्णय का भाग रहेगा।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 25/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested